



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24050

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 458 वर्ष 2026

सूरजभान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उप संचालक चकबंदी, गाजीपुर और 9 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार मौर्य, अरविंद सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"परमादेश की एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो उप संचालक चकबंदी गाजीपुर को याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 6 से 10 द्वारा मौजा गैन, परगना पचोतर, जिला गाजीपुर से संबंधित चकबंदी अधिनियम की धारा 48(1) के तहत पुनरीक्षण संख्या-1271/2025, कंप्यूटरीकृत वाद संख्या-202554142900001271, जियुत व अन्य बनाम हरीश चंद्र व अन्य में दायर स्थगन आवेदन दिनांक 17.11.2025 को शीघ्र, यदि संभव हो तो एक महीने के भीतर निस्तारित करने का निर्देश दे और प्रत्यर्थीगण को निर्देशित करे कि वे मौके पर यथास्थिति बनाए रखें और चकबंदी अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रश्नगत भूमि पर याचिकाकर्ता के कब्जे में हस्तक्षेप न करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है, यदि उक्त स्थगन आवेदन को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, उप संचालक चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या-1) को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः दो महीने की अवधि के भीतर, एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश द्वारा कानून के अनुसार कड़ाई से उक्त स्थगन आवेदन का निस्तारण करें।

5. पूर्वोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

4 फरवरी, 2026

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"